

422/अ.र (ज.व)  
22-2-96

69

अति तत्काल

स्पोड पोस्ट/रजिस्टर्ड

सं011017/1/92-छात्रवृत्ति सैल

भारत सरकार  
कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1996

सेवा में,

विषय:- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को केन्द्र प्रायोजित योजना - अनुरक्षण भत्ते को दरें, आय सौमा, अध्ययन दौरा शुल्क आदि के संग्रोधन -- योजना में दिनांक 1.10.1995 से संग्रोधनों का कार्यान्वयन ।

-0-0-

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत वर्तमान अनुरक्षण भत्ते को दरों, आय सौमा, अध्ययन दौरा शुल्क, लड़कियों के लिए प्रतिबंधात्मक शर्त में छूट तथा दूरस्थ और अनुवर्ती शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भत्ते के प्रावधान में संग्रोधनों का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन था ।

2. भारत सरकार ने अब निम्नलिखित संग्रोधन 1 अक्टूबर, 1995 अर्थात् दिनांक 1.10.1995 से करने का निर्णय लिया है ।

१।१ अनुरक्षण भत्ते को दरों में संग्रोधन

निम्नलिखित सारणी वर्तमान और उसकी तुलना में संग्रोधित अनुरक्षण भत्ते को दरों को दर्शाती है :-

.....2/-